

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

--:: कार्यालय आदेश ::--

राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आयोजित सहायक आचार्य विषय-भूगोल में चयनित होने पर निम्नांकित स्कूल व्याख्याता-भूगोल को उनके नाम के सामने अंकित विभाग के नियुक्ति अधिकारी के आदेश क्रम में इस विभाग द्वारा कार्यमुक्त करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

क्र. सं.	नाम कार्मिक मय वर्तमान पद एवं पदस्थापन स्थान	संबंधित विभाग के नियुक्ति अधिकारी के नियुक्ति आदेश के क्रमांक एवं दिनांक
1	राजाराम, व्याख्याता-भूगोल, राउमावि बरौली चौथ, डीग, भरतपुर (217097)	आयुक्जालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक: एफ 1 (23-05) RPSC/Appt/HRD/2022/62 दिनांक: 24.02.2023
2	मनु राज पुरोहित, व्याख्याता-भूगोल, राउमावि पीथास, ब्लॉक-मांडल, भीलवाड़ा (214554)	आयुक्जालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक: एफ 1 (23-05) RPSC/Appt/HRD/2022/62 दिनांक: 24.02.2023
3	अजहरूद्दीन, व्याख्याता-भूगोल, राउमावि सोराई लक्ष्मणगढ़, अलवर (216531)	आयुक्जालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक: एफ 1 (23-05) RPSC/Appt/HRD/2022/62 दिनांक: 24.02.2023
4	निकिता मंगल, व्याख्याता-भूगोल, राउमावि औंकारपुरा, बूंदी (222322)	आयुक्जालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक: एफ 1 (23-05) RPSC/Appt/HRD/2022/62 दिनांक: 24.02.2023
5	नरेश कुमार सारण, व्याख्याता-भूगोल, राउमावि डावल, ब्लॉक-चितलवाना, जालोर (213804)	आयुक्जालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक: एफ 1 (23-05) RPSC/Appt/HRD/2022/62 दिनांक: 24.02.2023

विभाग छोड़ने के बाद उक्त प्राध्यापक का परिवीक्षाकाल पूर्ण नहीं हुआ है तो उनका वर्तमान धारित पद पर लियन नहीं रहेगा साथ ही संबंधित संस्था प्रधान को आदेशित किया जाता है कि विभागीय जांच लंबित/प्रस्तावित न होने की स्थिति में संबंधित कार्मिक को उनके स्वयं के प्रार्थना पत्र के आधार पर कार्यमुक्त कर पालना से अवगत करावें।

सत्यमेव जयते

(गौरव अग्रवाल)

आई०ए०एस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर

दिनांक:- 13/03/2023

क्रमांक:- शिविरा/मा/संस्था/सी-5/कार्यमुक्ति/2022-23

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1.संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा.....।

2.संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....।

3.संबंधित प्रधानाचार्य को पाबंद किया जाता है कि विभागीय नियमानुसार कार्मिक से विभाग के प्रति किसी प्रकार का बकाया नहीं का प्रमाण पत्र लेने पश्चात ही कार्यमुक्त किया जावें।

4.संबंधित कार्मिक।

5.सिस्टम ऍनेलिसिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रसारित करने हेतु।

6.निजी एवं रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर